न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)–प्रथम, अयोध्या

मूलवाद संख्या–494/2019
शहनाज उर्फ मुन्नी आदि बनाम खतीजा बीबी आदि

दिनांक– 22.05.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रतिवादी सं० 2 उपस्थित। वादीगण अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा कई बार पुकार कराए जाने के बाद भी वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण विगत गई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नही आ रहे हैं। न्यायहित में वादीगण को पूर्व में उपस्थिति हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण को वाद चलाने में रुची नही रह गई है। उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में प्रतिवादी सं० 2 की उपस्थिति तथा वादीगण की अनुपस्थिति में यह वाद अदम पैरवी में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मूल वाद संख्या–494/2019, शहनाज उर्फ मुन्नी आदि बनाम खतीजा बीबी आदि वादीगण की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी सं० 2 की उपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (जू०डि०)–प्रथम
अयोध्या